# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

## सकारण आदेश

आदेश संख्याः– 2/अ0प्र0–2–136/14 523 /पटना, दिनांक :– 3·3·22

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, विक्रमगंज को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावादल द्वारा दिनांक 21.11.2014 को 15000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 091/14 दिनांक 21.11.2014 दर्ज किये जाने के आलोक में अधिसूचना सं. 4590 – सहपठित ज्ञापांक 4591 दिनांक 16.12.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2)(क) के तहत दिनांक 21.11.2014 के प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

2. श्री सिंह द्वारा जमानत पर रिहा होकर दिनांक 27.01.2015 को विभाग में योगदान दिया गया। तत्पश्चात अधिसूचना सं. 863 –सहपठित ज्ञापांक 864 दिनांक 19.03.15 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (3)(1) के तहत श्री सिंह का योगदान दिनांक 27.01.15 के प्रभाव से स्वीकृत करते हुए पुनः नियम 9 (1)(क) एवं 9 (1)(ग) के तहत लोकहित में निलंबित करते हुए मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।

3. श्री सिंह के विरूद्ध रिश्वत लेने, सरकारी कर्मी के आचरण के विरूद्ध कार्य करने, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टचार संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत अधिसूचना सं0 2635 सहपठित ज्ञापांक 2636 दिनांक 17.07.15 द्वारा मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 86 दिनांक 20.02.17 के माध्यम से समर्पित जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान समर्पित नहीं कर टाल मटोल की नीति अपनाई जाती रही है। अतएव विषयांकित मामले में आरोपित पदाधिकारी को आवश्यक कागजातों/साक्ष्यों को उपलब्ध कराने के बावजूद बचाव बयान समर्पित नहीं करने की पृष्टभूमि में इनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित माना जा सकता है।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 549 दिनांक 21.03.17 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई। श्री सिंह द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया। अंततः मामले की विभागीय समीक्षोपरान्त श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (XI) के तहत सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त कर उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति के उपरान्त मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 288 सहपठित ज्ञापांक 289 दिनांक 07.02.18 द्वारा श्री सिंह को "**सेवा से बर्खास्त**" की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गई।

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.i

5. उक्त बर्खास्तगी आदेश की विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC No. 4303/2018 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC No. 4303/2018 को दिनांक 28.08.18 को पारित न्यायादेश से निष्पादित कर दिया गया। न्यायादेश दिनांक 28.08.18 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

*"As the departmental proceeding is in the nature of quasi judicial proceeding, the charges have to be proved by the employer, which has been levelled against the employee by a valid and proper documentary and oral evidence, but this part of the action has not been done by the Department as neither those documents have been proved by bringing the proper witness who could have been put cross-examination by the petitioner, inasmuch as, the incident that took place about the taking of money is also required to be proved by proper evidence by the prosecution, which has also not been done in the present case.*

*In such view of the matter, the notification dated 07-02-2018 (Annexure-1) passed against the petitioner, dismissing him from the service, is hereby set aside. The matter is remanded back to the respondent authorities to conduct the inquiry in accordance with law after giving proper opportunity to the petitioner to defend his case. As this Court has already set aside the order of dismissal, that will not lead to reinstatement of the petitioner in service. It will only be subject to final decision of the competent authority."*

6. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 28.08.18 के अनुपालन में श्री सिंह को सेवा में बिना पुनःस्थापित किये संकल्प सं0 575 दिनांक 06.03.19 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री सिंह के विरूद्ध जॉच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। जॉच आयुक्त द्वारा विभिन्न तिथियों को आरोपी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई के पश्चात अपने पत्रांक 143 दिनांक 19.07.21 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया है।

7. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1430 दिनांक 01.10.2021 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई। श्री सिंह द्वारा आवेदन दिनांक 11.10.2021 के माध्यम से समर्पित द्वितीय बचाव बयान में मुख्य रूप से विभागीय कार्यवाही एवं जांच प्रतिवेदन पर प्रश्न उठाया गया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि सेवा से बर्खास्त कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना

न्यायोचित नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है। श्री सिंह का यह भी कहना है कि 05.04.2014 को कोई बिल नहीं बना था, कार्य पूरा नहीं हुआ था तथा द्वितीय बिल दिनांक 21.11.2014 के पूर्व कनीय अभियंता द्वारा बनाया ही नहीं गया था तो रिश्वत मांगने का प्रश्न हीं कहां उठता है किन्तु जांच आयुक्त द्वारा कोई न्यायोचित कार्रवाइ नहीं की गयी और आरोप को बिना जांच के ही प्रमाणित घोषित कर दिया गया, जो गलत है। जांच आयुक्त को समर्पित बचाव बयान में सभी आरोपों का समुचित उत्तर दर्ज किया गया था, जिन पर जांच आयुक्त द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

8. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप, विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवदेन एवं तद्‌ालोक में श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के आलोक में मामले की समग्र समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि श्री सिंह का यह कथन कि उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना न्यायोचित नहीं है, तर्कसंगत एवं स्वीकारयोग्य नहीं है क्योंकि प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 28.08. 2018 के आलोक में एवं सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव से आदेश प्राप्त कर चलायी गई है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी आरोपों के संबंध में अपनी समीक्षा एवं मतंव्य/निष्कर्ष अंकित किया गया है। यह सत्य है कि बिल कनीय अभियंता द्वारा बनाया गया है, जो कि व्यावहारिक है परन्तु इस संदर्भ में विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संबंधित कनीय अभियंता द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित माप पुस्त सहायक अभियंता श्री सिंह के पास ही था और कनीय अभियंता द्वारा मांगे जाने पर उन्हें नहीं दिया जाता था बल्कि दिनांक 20.11.2014 को दिया गया एवं कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 21.11.2014 को बिल बनाकर उन्हें वापस सौंप दिया गया। श्री सिंह को योजना से संबंधित संवेदक श्री संजय सिंह से 15000/– रूपये रिश्वत लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा दिनांक 21. 11.2014 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। श्री सिंह के द्वारा रिश्वत लेने अथवा अपने पास से रिश्वत की राशि बरामद होने से कभी इन्कार नहीं किया गया है। आरोपित के पास से रिश्वत की राशि बरामद होना भ्रष्ट आचरण का पुख्ता सबूत है।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, श्री रवीन्द्र कुमार सिंह का द्वितीय बचाव बयान दिनांक 11.10. 2021 स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव उसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

10. अतः श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, विक्रमगंज को विभागीय अधिसूचना संख्या 288 सहपठित ज्ञापांक 289 दिनांक 07.02.18 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित "**सेवा से बर्खास्त**" की शास्ति को यथावत रखा जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

2.3.22

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–136/14 523 /पटना, दिनांकः– 3·3·22

**प्रतिलिपि** :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2·3·22

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–136/14 523 /पटना, दिनांकः– 3·3·22

**प्रतिलिपिः**– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2·3·22

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–136/14 523 /पटना, दिनांकः– 3·3·22

**प्रतिलिपिः**– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, विक्रमगंज पत्राचार का पता– ग्राम–सरसौली, पोस्ट–सरसौली, थाना जम्होर, जिला–औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2·3·22

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–136/14 523 /पटना, दिनांकः– 3·3·22

**प्रतिलिपि** :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2·3·22

उप सचिव